11/10/19

पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील वादी/प्रतिवादी अनुपस्थित। चूंकि वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर न तो वादी एवं न ही प्रतिवादी उपसंजात है, अतः सि. प्र. सं. 1908 के आदेश 9 नियम 3 के तहत न्यायालय वाद को खारिज करने का आदेश देता है।

11/9/19

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2019.11.08 10:42:45 IST
Reason: SelfAttested